न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 06 / 2023(जी.सी.एम.ए.आर.2024 / 81)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. बलविन्द्र सिंह पुत्र मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी 26 एफ तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।	1. बलदेव सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी 26 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. लखविन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन सिंह जाति जटसिख निवासी 26 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।	

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–04.04.2024

उपस्थित: 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री अजय कुमार बिश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2

——निर्णय—— दिनांक : 24.05.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 26 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण की जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 52 के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1 आवेदकगण की कृषि भूमि है। मुरब्बा नम्बर 31 के पश्चिम दिशा में मुरब्बा नम्बर 30 स्थित है। मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 की उतरी दिशा में 18 फीट यानि 2 बिस्वा प्रत्येक बीघा में रास्ता के रूप में सभी काश्तकारों ने आपसी सहमति से कृषि भूमि छोडी हुई है। उक्त रास्ता करीब 70 वर्षो से मौका पर चालू है। यह रास्ता आगे पक्की सडक तक जाता है। जहां से सारे काश्तकार आवाजाही करते है। मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 ता 5 में अनावेदकगण की कृषि भूमि है तथा उनके कब्जा काश्त में है। अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 ता 5 में छोडे गये 2-2 बिस्वा रास्ता की भूमि की एवज में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को मुआवजा राशि दे रखी है। जिसके अनुसार उक्त रास्ता शुरू से ही मौका पर आज तक निरन्तर, निर्बाध व शान्तिपूर्वक चालू है। उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता हेतु प्रार्थी ने कई बार पंचायत के समक्ष अप्रार्थीगण से मांग की है और कहा कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाकर, राजस्व अभिलेख में अंकन करवा लेवे। तो अप्रार्थीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गए। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 26 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 25 के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक में से 2-2 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता को मंजूर किये जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में रकने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को आदेश पारित किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अजय कुमार बिश्नोई उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार चक 26 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 25 के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक में से 2-2 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। पारिवारिक विभाजन में उक्त भूमि हम अप्रार्थीगण के हिस्सा में आई हुई है। उक्त प्रस्तावित रास्ता के लिए छोडी गई भूमि की एवज में पूर्व में प्रतिकर राशि हम अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से प्राप्त की जा चुकी है। उक्त रास्ता स्वीकृत किए जाने की दशा में हम अप्रार्थीगण कोई प्रतिकर राशि प्राप्त नहीं करना चाहते है। जवाब प्रार्थना पत्र सामिल मिसल किया गया।

3. उक्त के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2024/438 दिनांक 08.05.2024 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक अरायण मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक अरायण व पटवारी हलका कमीनपुरा द्वारा चक 26 एफ के मुरब्बा नम्बर 30, 31 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थी के द्वारा आराजी मुरब्बा नम्बर 31 तक पहुंचने के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक की उत्तरी बट के साथ साथ 2-2 बिस्वा भूमि में से रास्ते की मांग की गई है। यह रास्ते की मांग व्यवहारिक है व मौका पर चालु है। प्रार्थी द्वारा की गई रास्ता की मांग अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य विकल्प मौजूद नहीं है।

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू.अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जाँच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए तथ्यक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबंधी प्रावधान निम्नानुसार है: " कृषकों के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थित उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जाँच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।"

5. भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी राजस्व ग्राम 26 एफ के मुरब्बा नम्बर 31 के अभिलिखित खातेदार है तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 ता 4 से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी को अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 31 तक पंहुचने के लिए मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 ता 5 से प्रस्तावित रास्ता व्यावहारिक व मौका पर चालू है। यह प्रार्थी की अत्यांतिक आवश्यकता है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। चाहा गया रास्ता मात्र सुविधा के लिए नहीं है। साथ ही प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने बाबत सहमति प्रकट की है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 26 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक की उत्तरी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि कुल 10 बिस्वा भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त रास्ता की भूमि की एवज में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रतिकर राशि प्राप्त कर ली है। उक्त रास्ता कायम कर मोके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{श्योराम आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष नं:- 01501226005
ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2024/222
तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

दिनांक :- 24.05.2024

विषयः- प्रकरण संख्या 06/2024 अनवान बलविन्द्र सिंह बनाम बलदेव सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 24.05.2024 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 24.05.2024 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 में राजस्व ग्राम 26 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि कुल 10 बिस्वा भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त रास्ता की भूमि की एवज में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रतिकर राशि प्राप्त कर ली है। उक्त रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर